


अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची(धनबाद)

अभिलेख सं० २७ (२२) / २०१६-१७

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

निधि	पदाधिकारी आदेश	कृत का
२५/७/१६	<p>झारखण्ड सरकार के झापांक २०७४/रा० दिनांक १३.०५.२०१६ सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- ३ - खा०म०निति - ११९/८५/२३०८/रा० दिनांक ०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - ९१४/रा० दिनांक ०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा <u>२४२२</u> थाना नं० <u>१५३</u> खाता नं० <u>२०५</u>            प्लॉट नं० <u>१०३</u> रकबा <u>१.२५</u> एकड़ की</p> <p>भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० <u>५</u> के पृष्ठ संख्या <u>५५६</u> पर जमाबंदी रैयत <u>शारखण्ड सरकार</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>१.८.१६</u> को उपस्थापित करे।</p>	

  
 अंचल अधिकारी,  
 तोपचौंची  
१६.७.१६

1120  
अभिलेख उपस्थापित । तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा सदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया जाता है । इस संबंध में पुण्ड्र दास द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थित जो अभिलेख में संलग्न है । लगान वर्ष 1996-97 तक भुगतान किया गया है ।

मौजा- खरनी थाना नं० 153 खाता संख्या 205  
प्लॉट संख्या 103 रकबा 1.25 ए० धूर कुल 1.25 ए०

धूर भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम पर जमाबंदी दर्ज है । पंजी-11 में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं :-

1. जमाबंदी सृजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया ।
2. लगान निर्धारण / जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा / सादा हुकुमनामा आदि कागजात नहीं पाया गया ।
3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं चाखा गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।


उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है ।

अतः मौजा- खरनी थाना नं० 153


खाता संख्या 205 प्लॉट संख्या 103 रकबा 1.25 ए० धूर, कुल  
धूर, भूमि जो प्रतिवादी अफ़लु दास के नाम पर पंजी-11 में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदनुसार अभिलेख प्रश्रित कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे ।

लेखापित एवं संशोधित

  
27/11/20  
अंचल अधिकारी

तोपचाँची ।

  
27/11/20  
अंचल अधिकारी

तोपचाँची ।

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

पृ० सं०  
A  
157

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- अबुलु इरफिना भगन हास
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-  

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>292/1</u>	<u>153</u>	<u>205</u>	<u>103</u>	<u>1.25</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....5..... पृष्ठ सं०-446 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 88-89
5. खतियान के अनुसार उम्मेद्वत भूमि के खातेदार का नाम :- माहबुब शाकिल
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- 22/1/1989
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- 60(X) 88-89
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - कॉस्ट गार्ड)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी II शं
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -  

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>372-4/1</u>	<u>372-4/1</u>	<u>96-97</u>

[Signature]  
[Signature]